जनपद बिजनौर

प्रैसनोट-थाना स्योहारा **दिनाँक- 27.05.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 180/2026 धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त कार्तिक पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम रडौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 26.05.2026 को अपहृता उपरोक्त को सकुशल बरामद किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

दिनांक 27.05.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त कार्तिक उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कार्तिक पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम रडौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री उमेश चन्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.का0 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.का0 2460 सुदेर राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रैसनोट-थाना कोतवाली शहर दिनाँक- 27.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 34/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/118(1)/352/351(2)/125(ख) बी0एन0एस0 से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.01.2026 को वादी आदिल पुत्र शाहिद निवासी ग्राम शादीपुर डल्ला उर्फ मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. शाहिद उर्फ शाहिर पुत्र इसरार, 2. रिजवान पुत्र इकबाल, 3. शहरियान उर्फ सेरू पुत्र इकबाल, 4. सलीम पुत्र इदरीश, 5. वसीम उर्फ चुनवा पुत्र इदरीश, 6. साकिब पुत्र इसरार एवं 7. इकबाल पुत्र इब्राहीम निवासीगण ग्राम शादीपुर डल्ला उर्फ मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा उसके चचेरे भाई के साथ लाठी-डण्डों, लोहे की रॉड एवं धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/118(1)/352/351(2)/125(ख) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 27.05.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त 1. सलीम पुत्र इदरीश एवं 2. वसीम उर्फ चुनवा पुत्र इदरीश निवासीगण ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर बिजनौर को मुखबिर खास की सूचना पर मुस्तफाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सलीम पुत्र इदरीश पुत्र इदरीश निवासी ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.वसीम उर्फ चुनवा पुत्र इदरीश निवासी ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 संजीव कुमार कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 181 रवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 1740 अक्षय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 27.05.2026**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 04 आरोपी अभियुक्तो को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मथुरापुर में खेत के किनारे पानी की नाली में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के शव को कब्जे में लिया गया था। मृतक का गला दुपट्टे से बंधा हुआ था, गर्दन कटी हुई थी तथा शरीर पर नुकीले हथियार से प्रहार के निशान पाए गए थे। घटनास्थल से एक पेपर कटर चाकू भी बरामद हुआ था। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही उपरांत थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

जांच के दौरान मृतक की शिनाख्त रहीश पुत्र अकबर निवासी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के रूप में हुई थी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. जावेद अली 2. आकाश 3. अब्दुल वाहिद एवं 4. दिलशाना पत्नी मृतक के नाम प्रकाश में आए। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय ADJ-FTC-II जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित सभी अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व कुल 40,000 रुपयों के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>दोषसिद्ध अभियुक्तों के नाम व पता</u> –

1.जावेद अली पुत्र मौ0 यामीन निवासी सुल्तानपुर आदमपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

2.आकाश पुत्र मनोज कुमार निवासी पथरी थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

3.अब्दुल वाहिद पुत्र नईमुद्दीन निवासी कैथल थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

4.दिलशाना पत्नी रहीश निवासी सुल्तानपुर आदमपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट दिनांकः-27.05.2026

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 92/2026 धारा 137(2)64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2026 को वादिया द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.विनय पुत्र फूलचन्द्र निवासी सुनपहर जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) 2.अमरजीत पुत्र नामालुम निवासी खैरीखत्ता थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये है ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 137(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया । पीडिता को दिनांक 27.05.2026 को बरामद किया गया तथा साक्ष्यो के आधार पर अभियोग मे धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

दिनाक 27.05.2026 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त विनय पुत्र फूलचन्द्र निवासी सुनपहर जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

विनय पुत्र फूलचन्द्र निवासी सुनपहर जिला उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अंकित सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 534 आमेन्द्र चौधरी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
3.म0का0 901 अमृता थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।